

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2017/माघ 17, 1938 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 348  
No. 41] DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2017/MAGHA 17, 1938 [N.C.T.D. No. 348

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 फरवरी, 2017

सं. फा. 41(22)/डीएसडब्ल्यू-डब्ल्यूसीडी/एफएएस/स्कीम संघो./09-10/35589-95.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से 60 वर्ष तक के आयु समूह की दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन योजना 2010 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संश्लिष्ट शर्षक एवं प्रारंभ:—(1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से जीवनपर्यंत आयु समूह की दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन योजना (संशोधन) नियमावली, 2016 कहा जायेगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. (i) नियम 2 में — "आयु वर्ग 18 से 60 वर्ष" शब्दों के स्थान पर "आयु वर्ग 18 वर्ष से जीवनपर्यंत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (ii) नियम 4 में, उप-नियम (ii) में "उसके परिवार" शब्दों के स्थान पर "आवेदक" शब्द तथा "60,000/-रुपये" शब्द के स्थान पर "1,00,000/-रुपये (सभी स्रोतों से)" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाता है।
- नियम 5 का संशोधन— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग की दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन योजना 2010 (इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में संदर्भित है), नियम 5 (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है कि :-
- (i) सभी नए आवेदकों को लाभ के हस्तांतरण के लिए आधार संख्या जमा करना एवं आधार संरक्षित खाता बनाना अनिवार्य होगा। हालांकि मौजूदा लाभार्थियों (निराश्रित महिला) को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अंदर आधार संख्या/आधार संरक्षित बैंक खाता प्रदान करने की अनुमति दी जाती है जिसके न देने पर पेंशन प्रदान की जाएगी।

नियम 12 का संशोधन— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग की दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन योजना 2010 (इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में संदर्भित है), नियम 5 (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है कि:-

- (vi) निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक वृद्धावस्था पेंशन एवं विकलांगता पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के  
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
दिलराज कौर, सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT  
NOTIFICATION

Delhi, the 3rd February, 2017

F. 41(22)/DSW-WCD/FAS/Sch. Amend/09-10/35589-95.—The Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules to amend Delhi Pension Scheme to Women in Distress, the National Territory of Delhi, in the age group of 18-60 years, 2010, namely:-

Short title and Commencement:- 1)i) These Rules may be called Delhi Pension Scheme to Women in Distress Amendment Rules, 2016, National Capital Territory of Delhi, in the age group of 18years to lifelong

ii) They shall come into force from the date of Publication in the Delhi gazette.

2) i) In the Rule 2 - for the word "the age group 18 to 60 years" shall be substituted with word "the age group 18 years to lifelong"

ii) In the Rule 4, in the sub -rule (ii) for the word "Her Family" will be substituted with the word "The applicant" and for the word "Rs. 60,000", the word "Rs. 1,00,000(from all sources)", shall be substituted

3) Amendment of Rule 5 of Delhi Pension Scheme to Women in Distress, the National Territory of Delhi, in the age group of 18-60 years, 2010(hereinafter referred as Principal Rules), for the Rule 5 (2) it is substituted that :-

(j) All new applicants shall have to furnish Aadhar number and Aadhar seeded account shall be a must for transfer of benefit. However, the existing beneficiaries (Women in Distress) can be allowed to provide Aadhar number/Aadhar seeded bank accounts within a maximum period of one year failing which Pension shall be stopped

4) Amendment of Rule 12 of Delhi Pension Scheme to Women in Distress, the National Territory of Delhi, in the age group of 18-60 years, 2010(hereinafter referred as Principal Rules), for the Rule 5 (2) it is substituted that :-

(vi) Applicants applying under the Scheme Pension to Women in Distress will not be eligible for Old Age Pension and Disability Pension

By Order and in the Name of Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. DILRAJ KAUR, Secy.